उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार– 249404
Website-www.psc.uk.gov.in

संख्या : 493/04/E-4/DR(JE)/2021-22 दिनांक : 19 सितम्बर, 2022

विस्तृत विज्ञप्ति

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा–2021'

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021' हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-3/E-4/2021-22 दिनांक 26.11.2021 के सापेक्ष आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या : 174/04/JE-21/G-02/2022-23 दिनांक 31.08.2022 द्वारा घोषित किया गया है।

2. उक्त परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों को पदों/विभागों की ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) भरे जाने हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर दिनांक **20 सितम्बर, 2022** से खोला जा रहा है। अभ्यर्थी दिनांक **06 अक्टूबर, 2022** तक ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) भर सकते हैं। **ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) के अंतिम Submission के पश्चात वरीयता के परिवर्तन के संबंध में कोई भी अनुरोध किसी भी दशा में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।** अतः अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक पदों/विभागों की ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) को प्रविष्ट करें।

3. अभ्यर्थियों द्वारा उक्त लिंक का प्रयोग करते हुए पदों/विभागों की ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) भरने के पश्चात ऑनलाइन वरीयता का प्रिंट आउट (जिसमें ऑनलाइन वरीयता के साथ ही आवेदन पत्र भी समाहित होगा) तथा आयोग की वेबसाइट में उपलब्ध चैकलिस्ट के अनुसार समस्त शैक्षणिक, आरक्षण, अधिमानी अर्हता इत्यादि संबंधी अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, पिन–249404** के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी माध्यम से जमा किए जाने की अंतिम तिथि **06 अक्टूबर, 2022** (सायं 06:00 बजे तक) निर्धारित है। प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष उक्तांकित निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात ऑनलाइन वरीयता (Online Preference), आवेदन पत्र एवं अभिलेखों को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी अभिलेख जमा करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले **लिफाफे के ऊपर 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021' तथा लिफाफे के तल पर अपना नाम एवं अनुक्रमांक** अवश्य अंकित करें।

4. 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा (मुख्य) परीक्षा–2021' में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी निम्नलिखित चैक लिस्ट के अनुसार अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :–

क्र0सं0	विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अभिलेख/प्रमाणपत्र	संलग्नक है अथवा नहीं (यदि है तो बाक्स में टिक ✓करें)
1.	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति	
2.	हाईस्कूल अंक पत्र/प्रमाण–पत्र की प्रति, जिससे जन्मतिथि की पुष्टि की जा सके	
3.	डिप्लोमा/राष्ट्रीय प्रमाण पत्र की प्रति।	
4.	डिप्लोमा/राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, अंतिम वर्ष/अंतिम सेमस्टर की अंक तालिका	
5.	अधिमानी अर्हता (जो ऑनलाइन आवेदन में दावित है)–	
	(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा पूर्ण की हो।	
	(ख) नेशनल कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र ।	
	(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना का ''सी'' प्रमाण–पत्र ।	
	(घ) यांत्रिक/विद्युत अभियंत्रण में स्नातक उपाधि।	
	(ङ) नेशनल कैडेट कोर का ''सी'' प्रमाण–पत्र ।	
	(च) प्रशिक्षणार्थी के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।	
6.	SC/ST/OBC/EWS आरक्षण संबंधी सक्षम स्तर से जारी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।	
7.	पूर्व सैनिकों हेतु डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) मूल रूप में कि पूर्व में पूर्व–सैनिक के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर किसी सरकारी सेवा में सेवायोजित नहीं हुये हैं। (यदि लागू हो)। अथवा डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र के साथ शासनादेश संख्या : 277 दिनांक 13.09.2021 के अनुसार पूर्व नियोक्ता को प्रेषित स्वघोषणा की छायाप्रति। (यदि लागू हो)।	
8.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों हेतु प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।	
9.	अनाथ बच्चों हेतु प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	
10.	दिव्यांगों हेतु विकलांगता प्रमाण–पत्र, जिसमें OL/OA/PB/PD आदि उपश्रेणियों का स्पष्ट उल्लेख हो। (यदि लागू हो)	
11.	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	

12.	केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र या सेवायोजक को अनापत्ति हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र (यदि लागू हो)।	
13.	अभ्यर्थी के नाम/पिता/पति (वैवाहिक होने की स्थिति में) के नाम विभिन्न प्रमाण–पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा। (आयोग के निर्धारित प्रारूप पर)	
14.	"समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता" के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाण–पत्र, जिसका ऑनलाइन आवेदन–पत्र में दावा किया गया हो, से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है :–	
(i)	Registration in any District Employment Office located in Uttarakhand State. (उत्तराखण्ड राज्य में स्थित जिला सेवायोजन विभाग द्वारा जारी सेवायोजन प्रमाण–पत्र)	
(ii)	Are you employed? (उत्तराखण्ड राज्य की राज्याधीन सेवा हेतु सेवायोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र)	
(iii)	Have you passed your High School and Intermediate or any other equivalent Exams from any recognized Institution situated in the State of Uttarakhand. (उत्तराखण्ड राज्य में स्थिति संस्था से धारित हाईस्कूल एवं इण्टर प्रमाण–पत्र)	
(iv)	Are you or your spouse or your parents regular employee of the armed forces/para military forces OR State Goverment/semi Government Organization OR Central Government Oraganization/ Central Government Public Service Undertaking serving in the State of Uttarakhand and whose Services cannot be transferred outside the State of Uttarakhand. (सेवायोजक से इस आशय का प्रमाण–पत्र कि सेवाएं उत्तराखण्ड राज्य के बाहर स्थानांतरणीय नहीं है।)	
(v)	Are you OR your spouse/parents permanent resident of Uttarakhand, but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purposes. (उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र)	

अभ्यर्थी आयोग को उपलब्ध कराये जाने वाले वांछित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के साथ प्रथम एवं द्वितीय पृष्ठ के रूप में सम्यक रूप से भरी हुई चैक लिस्ट संलग्न करें।

5. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) भरने एवं अभिलेख जमा किए जाने के संबंध में डाक द्वारा पृथक से सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी समस्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों

की सावधानीपूर्वक जाँच करने के पश्चात ही चैक लिस्ट के साथ आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा किसी भी दशा में अपूर्ण व अस्पष्ट अभिलेख प्रेषित न करें।

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021' के सापेक्ष साक्षात्कार कार्यक्रम एवं साक्षात्कार ज्ञाप संबंधी सूचना पृथक से आयोग की वेबसाइट व दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जायेगी। अभ्यर्थियों को उक्त हेतु पृथक से कोई प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी समय–समय पर आयोग की वेबसाइट का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

-SD-

(जी0एस0 रावत)
सचिव।